

पत्रांक-श्रम क०सं०-17/2025 (अंश)-१२३

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024, के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, कटिहार के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तथा 02 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 4,00,000/- (चार लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मो० जहरूल, 29, एनामुल, पिछड़ा वर्ग	छोबी खातुन (पत्नी) 7416 9127 1470	54 19.01.2026 एवं 1351 16.12.2025	ग्राम+पं०-धरमपुर, पं०-आबादपुर, प्र०-बारसोई, थाना-आबादपुर, जिला-कटिहार 9905654753	475707 000032 64	BGB PUNB0 MBGB0 6	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
2	स्व० विजय रविदास, 37, लेलहु रविदास, अनुसूचित जाति	झूनो देवी (पत्नी) 5111 8498 7095	54 19.01.2026 एवं 1359 16.12.2025	ग्राम-बस्तौल, वार्ड-12, पं०+पं०-बस्तौल, प्र०+थाना-प्राणपुर, जिला-कटिहार 8603361436	590154 12401	INDIAN BANK IDIB000 B690	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, कृषि नियोजन का कार्य
3	स्व० राकेश कुमार साह, 49, अनुपलाल साह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	मुन्नी देवी (पत्नी) 4572 2608 9567	54 19.01.2026 एवं 1367 17.12.2025	ग्राम-रसूलपुर, पं०+पं०-कुमारीपुर, प्र०+थाना-मनिहारी, जिला-कटिहार 9304446729	591214 35700	INDIAN BANK IDIB000 K827	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि श्रमिक का कार्य
4	स्व० दिलीप मंडल, 60, वकील मंडल, अनुसूचित जनजाति	शोभा देवी (पत्नी) 7004 1309 6611	54 19.01.2026 एवं 1370 17.12.2025	ग्राम-भुताहाबाड़ी दिलारपुर, वार्ड-10, पं०+पं०-दिलारपुर, प्र०+थाना-मनिहारी, जिला-कटिहार 6206233615	509181 000150 09	BOB BARB0C HITAU	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
5	स्व० अनील कुमार सिंह, 28, महाविर सिंह, अनुसूचित जनजाति	कोमल कुमारी (पत्नी) 699235014923	1109 26.09.2025 एवं 951 25.08.2025	ग्राम+पं०-केलाबाड़ी, पं०-ढेना बाघछाला, थाना+प्र०-आजमनगर जिला-कटिहार 9006516456	569833 0302	CBI CBIN028 3019	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल :-5,50,000/-

(पाँच लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-17/2025 (अंश)-११३


ह0/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

पटना, दिनांक :- १५/०२/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, कटिहार/उप श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।




Signed by Rohit Kumar

Date: 16-02-2026 15:18:42

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



Signed by Rajesh Bharti

Date: 23-02-2026 09:48:37

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक